

सीएसआईआर-केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान
रुड़की-247667

सं. 82(29)/2009-सतर्कता

दिनांक: 17.05.2023

कार्यालय जापन

1. निदेशक, सीएसआईआर-केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य निम्नवत हैं:

क्र.सं.	आंतरिक शिकायत समिति की संरचना	
01.	डा. लीना चौरसिया, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक	अध्यक्ष
02.	डा. आर. धर्मराजू, मुख्य वैज्ञानिक	सदस्य
03.	सुश्री कुमुद सिंह, प्रशासन नियंत्रक	सदस्य संयोजक
04.	सुश्री दीप्ति कर्माकर, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	सदस्य
05.	डा. (श्रीमती) संगीता अग्रवाल, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, हैप्पी फेमिली हॉस्पिटल, सुभाष नगर, रुड़की-247667	सदस्य(एनजीओ)

2. शिकायत समिति को, सीसीएस (सीसीए) नियमावली 1965 के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार जांच की जाएगी। शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए। यह समिति महिला कर्मचारी/कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करेगी और यदि आवश्यक होगा तो आगे जांच की जाएगी। जांच पूरी होने पर, समिति आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए, निदेशक, सीएसआईआर-सीबीआरआई को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।
3. शिकायत समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्य, आयोजित करने के लिए गैर सरकारी संगठन के सदस्य को, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) नियमावली, 2013 के नियमानुसार, भत्ता एवं यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का अधिकार होगा।
4. उक्त समिति का कार्यकाल इस कार्यालय जापन के जारी होने की तिथि से 3 वर्ष का होगा।



(कुमुद सिंह)

प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि:

1. सभी संबंधित व्यक्तियों को
2. निदेशक महोदय के सूचनार्थ
3. प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासन नियंत्रक के सूचनार्थ
4. सूचना पट्ट
5. श्री अमित कुश, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(2)- सीबीआरआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

**CSIR-CENTRAL BUILDING RESEARCH INSTITUTE
ROORKEE – 247 667 (UK)**

No. 82(29)/2009-Vig.

Dated : 17.05.2023


OFFICE MEMORANDUM

Sub. : Constitution of Complaints Committee under Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 – Reg.

1. Director, CSIR-Central Building Research Institute, Roorkee has been pleased to Constitute the Internal Complaints Committee to look into the Sexual Harassment complaints pertaining to sexual harassment of women in work places. The member are as under :

Sr. No.	Composition of Internal Complaints Committee	
01.	Dr. Leena Chourasia, Sr. Principal Scientist	Chairperson
02.	Dr. R. Dharmaraju, Chief Scientist	Member
03.	Mrs. Kumud Singh, CoA	Member Convener
04.	Smt. Deepti Karmakar, Sr. Technical Officer (2)	Member
05.	Dr.(Mrs.) Sangeeta Agarwal, Gynaecologist, Happy Family Hospital, Subhash Nagar, Roorkee - 247667.	Member (NGO)

2. The Complaints Committee shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of CCS (CCA) Rules, 1965. The inquiry will be conducted as per provisions contained in Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The report of the Complaints Committee should be treated as enquiry report. It will examine the complainants made against sexual harassment by women employee(s) and, if necessary, conduct an enquiry. On completion of the same, the Committee will submit its findings to the Director CSIR-CBRI for further necessary action.
3. The NGO member will be entitled to allowances and reimbursement of travel cost as per Rule of Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013 for holding the proceedings of the Complaints Committee.
4. The tenure of above Committee will be of three years from the date of issue of this O.M.


(Kumud Singh)

Controller of Administration

Copy to :

1. All concerned persons
2. PS to Director
3. PS to AO/CoA
4. Notice Board
5. Sh. Amit Kush, Sr. T.O.(2) - for uploading on CBRI website.